



## ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रपिपोर्ट 2023

### प्रलिस के लयः

यूनवऱसल डकलऱरेशन ऑफ ह्यूमन राइट (UDHR), मानवाधकऱरों को सशक्त बनाने के लयऱ भारत की पहल, हेलसकऱी समझौता

### मेन्स के लयः

मानवाधकऱरों के लयऱ भारत की वभऱनऱन पहल और हाल के वर्षों में देश में मानवाधकऱरों के उल्लंघन के वरऱधाभासी उदाहरण ।

## चर्चा में क्यऱँ?

हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वर्ल्ड रपिपोर्ट 2023 (33वाँ संस्करण) में कहा कऱ भारतीय अधकऱरऱयों ने वर्ष 2022 के दौरान कार्यकरत्ता समूहों एवं मीडऱयऱ पर अपनी कार्यवाही को अधकऱ "तीव्र और व्यापक" कर दऱया ।

- इसमें यह भी दावा कऱया गया है कऱ वऱरतमान केंद्रीय सत्तारूढ़ पारटी ने अल्पसंख्यकों को दबाने हेतु अपमानजनक और भेदभावपूर्ण नीतऱयों का इस्तेमाल कऱया ।

## ह्यूमन राइट्स वॉच क्यऱ है?

- ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जसऱकी स्थापना वर्ष 1978 में "हेलसकऱी वॉच" के रूप में हुई थी, शुरु में इसका उद्देश्य हेलसकऱी समझौते पर हस्ताकषर करने वाले देशों में अधकऱरों के हनन की जाँच करना था ।
  - वर्तमान में इसका दायरा दुनऱया भर के लगभग 100 देशों में वसऱतारऱतऱ हो गया है ।
  - इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थऱतऱ है ।
- हेलसकऱी समझौता (1975), यूरोप में सुरक्षा और सहयोग पर पहले सम्मेलन (अब यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन) के समापन पर हेलसकऱी, फऱनलैंड में हस्ताकषरऱतऱ एक प्रमुख राजनयकऱ समझौता था ।
  - मुख्य रूप से सोवऱतऱ और पश्चऱमी ब्लॉक के बीच तनाव को कम करने हेतु हेलसकऱी समझौते पर कनाडा, अमेरऱका एवं यूरोप के सभी देशों द्वारा हस्ताकषर कऱये गए थे ।
  - समझौते के तहत 35 हस्ताकषरकरत्ता देशों ने मानवाधकऱरों और मौलऱकऱ स्वतंत्रता का सम्मान करने का वचन दऱया था ।

## वर्ल्ड रपिपोर्ट 2023 के भारत वशऱषऱट नषऱकरषः

- सरकार द्वारा मानवाधकऱरों का उल्लंघनः
  - रपिपोर्ट में पाया गया कऱ केंद्र सरकार हऱदू बहुसंख्यक वचऱरधारा को बढ़ावा दे रही है तथा अधकऱरऱयों और समर्थकों को धार्मकऱ अल्पसंख्यकों के खलऱाफ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने एवं कभी-कभी हसऱक कार्रवाई हेतु भी उकसाती है ।
  - इसने महिलाओं के खलऱाफ हसऱा के मामलों में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतऱ सरकार के भेदभावपूर्ण रुख (बलऱकसऱऱ बानो बलात्कार के दोषऱयों की रऱहऱई) को उजागर कऱया है ।
  - अनुच्छेद 370 को हटाने तथा बाद में दो केंद्रशासऱतऱ प्रदेशों (जममू-कश्मीर और लद्दाख) के नऱरऱमाण के 3 साल पश्चात् भी "सरकार ने दोनों केंद्रशासऱतऱ प्रदेशों में स्वतंत्र अभवऱयकऱतऱ एवं शांतऱपूरण समागम को प्रतऱबऱधऱतऱ करना जारी रखा" है ।
    - प्राधकऱरी वर्गों ने पत्रकारों और कार्यकरत्ताओं को "मनमाने ढंग से" हरऱसत में लेने के लयऱ जममू-कश्मीर सार्वजनऱकऱ सुरक्षा अधनऱयऱम (J&K Public Safety Act) एवं गैरकानूनी गतवऱधऱयऱ रोकथाम अधनऱयऱम (Unlawful Activities Prevention Act- UAPA), 1967 का भी इस्तेमाल कऱया ।
    - इसने कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक हऱदू और सखऱऱ समुदायों पर संदऱगऱध आतंकवादी हमलों का भी उल्लेख कऱया है ।
- सर्वोच्च न्यायालय के वभऱनऱन नऱरऱणों का स्वागतः

- HRW ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए त्वरति उदार कदमों की सराहना की, जैसे औपनिवेशिक युग के [राजद्रोह कानून](#) के सभी उपयोग को रोकने का नरिणय ।
- इसने वैवाहिक स्थिति की परवाह कयि बना [सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार](#) देने तथा समान-लगि वाले युगल, एकल माता-पति और अन्य परिवारों को शामिल करने हेतु परिवार की परभिषा को व्यापक बनाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का भी उल्लेख कयि ।
  - हालाँकि शैक्षणिक संस्थानों में [मुसलमि छात्राओं के हजिाब पहनने के अधिकार](#) पर सर्वोच्च न्यायालय कसिी नरिणय पर नही पहुँचा ।

## मानवाधिकारों के लयि भारत की पहलें:

- संवधान में प्रावधान:
  - **मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 14 से 32**
  - **राज्य के नीतनरिदेशक सदिधांत:** संवधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक । इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार चयन का अधिकार, बेरोजगारी के वरिद्ध सुरक्षा, समान काम तथा समान वेतन का अधिकार, मुफ्त और अनविर्य शक्ति का अधिकार एवं मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकार आद शामिल हैं ।
- सांविधिक प्रावधान:
  - **मानवाधिकार संरक्षण अधनियम (PHRA), 1993** (वर्ष 2019 में संशोधति): NHRC की स्थापना इसी अधनियम के तहत की गई थी ।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भूमिका:
  - भारत ने **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR)** के प्रारूपण में सकरयि रूप से भाग लयि ।
  - भारत ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICESCR) तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) का भी अनुसमर्थन कयि है ।

## अन्य समान रपिर्ट:

- **भारत- 2021 पर मानवाधिकार रपिर्ट** (अमेरिकी वदिश वभाग द्वारा) ।
- **फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रपिर्ट** (अमेरिका स्थति फ्रीडम हाउस द्वारा) ।
- **डेमोक्रेसी रपिर्ट 2022** (यूनविरसटी ऑफ गोथेनबर्ग, स्वीडन में वी-डेम इंस्टीट्यूट द्वारा) ।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

**[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:**

प्रश्न. मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संवधान का नमिनलखिति में से कौन-सा भाग मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) के सदिधांतों और प्रावधानों को दर्शाता है या प्रतबिबिति करता है? (2020)

1. प्रस्तावना
2. राज्य के नीतनरिदेशक सदिधांत
3. मौलिक कर्तव्य

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

**[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:**

प्रश्न. यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा में काफी हद तक योगदान दयि है, फरि भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के वरिद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं । इनकी संरचनात्मक एवं व्यावहारिक सीमाओं का वशिलेण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजयि । (2021)

## स्रोत: द हट्टि

